

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एल.

मुकदमा नंबर :- 37/2021

प्रार्थीगण :-

1. आलोक गुप्ता पुत्र श्री राजेश्याम गुप्ता उम्र 42 साल, जाति - गुप्ता ब्राह्मण-कैथेक
मैनेजर सिविली की ठानी पचपदरा
RAJTECH AGRO PAINT ATIONS PRIVATE LIMITED PLOT 100.3
AMRAPALI CIRCLE, VAISHALI NAGAR, JAIPUR
बनाम

विप्राथी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी.ए (1) राजस्थान टैनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण 1 श्री प्रेमसिंह प्रार्थी वकील

आदेश

दिनांक :- 25.08.2021

प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्राथी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि प्रार्थी कम्पनी के खसरा नम्बर 1058/57 रकबा 07 बीगा मौजा सिविली की ठानी पटवार हल्का पचपदरा तहसील जिला बाडमेर में जाने हेतु खसरा नम्बर 1051/57 में से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट - 'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये बर्ग माल से दर्शाया है उससे विप्राथी की खातेदारी के खेत में आने जाने हेतु मार्ग की सख्त आवश्यकता है तथा मार्ग के अभाव में प्रार्थी कम्पनी को अपनी जमीन में आने-जाने में रुकावट पैदा होती है। प्रार्थी कम्पनी ने यह भी जाहिर किया की रास्ते की भूमि का उपयोग मात्र आवागमन हेतु करेगी इस सम्बन्ध में प्रार्थी कम्पनी ने रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।



प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्राथीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/1087 दिनांक 24.08.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा सिविली की ठानी में आवेदक के नाम खातेदारी भूमि में जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 1051/57 किस्म गैंगु खान जो मिला कब्जा मुम्किन राजस्थान सरकार राजस्व रिकार्ड दर्ज है। में से रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की है जो उपयुक्त एवं निकटतम है। जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि नहीं। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डीएलसी0 दर 185200/ रूपये प्रति बीघा है। रास्ते हेतु कुल रकबा 01 बीघा 10 बिस्वासी भूमि बनती है।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थी वकील एवं राजकीय पैनोकार सरकार की बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा सिंधियो की ढाणी के खेत खसरा न० 1051/57 किस्म गै0मु0 खान में से न्यूनतम दूरी का संभाव्य है। जो पुस्त पर अंकित नजरी मानचित्र में बताए अनुसार कुल रकबा 01 बिस्वा 10 बिस्वासी होती है जो उपयुक्त एवं निकटतम रास्ता है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जाच की गई जिसके अनुसार मौजा सिंधियो की ढाणी के खसरा संख्या 1051/57 की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट -'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक जो प्रार्थी के निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है। चुंकी प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा मौजा प्रार्थी कम्पनी के खसरा नम्बर 1058/57 रकबा 07 बीगा मौजा सिंधियो की ढाणी पटवार हल्का पचपदरा तहसील जिला बाहमेर में जाने हेतु खसरा नम्बर 1051/57 में से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट -'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक भूमि रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी इस हेतु डी.एल.सी रेट 1,85,200/- प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए कुल रकबा 01 बिस्वा 10 बिस्वासी भूमि की राशि 13,900 रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 27,800 /- रूपये राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 25.06.2021 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित किया गया प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।



(नो. 1/सिनी)
उप उपविभागीय अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 25.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नो. 1/सिनी)
उप उपविभागीय अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा